

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी मैसर्स बायण बनाम श्रीमती दीपिका वगैरह
किस्म मुकदमा : आ.41 नियम 1 जा.दी. पत्रावली संख्या : 96/25 (वि.प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाये जो जारी की गई।
	<p><u>दिनांक : 13.06.2025</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री अशोक कुमार साहु द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 1 जा.दी. का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में आगामी पेशी तक विपक्षीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 219/18 वाद अनवान श्रीमती दीपिका बनाम युवराजसिंह में अन्तिम डिक्री दिनांक 15.05.2025 में वर्णित आराजीयात में विपक्षीगण प्रार्थी को किसी प्रकार से बेदखल नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काशत में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं प्रार्थी को उपयोग उपभोग करने से नहीं रोके। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1, 2 में वर्णित प्रावधानों की पालना की जावे।</p> <p>विपक्षीगण को हुक्म ईमतनाई आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 02.07.2025 को पेश हो।</p> <p>21/7/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 25/7/25 को पेश हो।</p>	

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

010
६



25/7/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 22/8/25 को पेश हो।

81°
६

29/8/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 10/10/25 को पेश हो।

81°
६

10/11/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 17/11/25 को पेश हो।

81°
६

17/11/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय
स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी मय
स्वयं प्रार्थी को बार-बार आवजे दिलवाई गई।
समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं प्रार्थी
एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं।
अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित
रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अहम राजरी अहम
पैरबी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फँसल
शुमार ब्रेकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मन्वली